21वीं सदी का भारत: बहुभाषिकता और राष्ट्र निर्माण

अशोक वी. सूर्यवंशी

बी.एल.डी.ई. संस्था, बसवेश्वर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बसवन बागेवाड़ी

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18790460

ABSTRACT:

भारत विश्व के सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ बहुभाषिकता केवल भाषाओं की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक चेतना का आधार भी है। 21वीं सदी में वैश्वीकरण, तकनीकी विकास, शिक्षा सुधार और डिजिटल माध्यमों के विस्तार के साथ बहुभाषिकता की भूमिका और अधिक व्यापक हो गई है। यह शोध आलेख भारत में बहुभाषिकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक एवं सामाजिक महत्व, राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका, चुनौतियों तथा संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि बहुभाषिकता को समान सम्मान, समावेशी नीतियों और तकनीकी सहयोग के साथ अपनाया जाए, तो यह भारत को एक सशक्त, समावेशी और एकीकृत राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

KEYWORDS:

बहुभाषिकता, राष्ट्र निर्माण, भारतीय भाषाएँ, भाषाई विविधता, नई शिक्षा नीति, सांस्कृतिक एकता.

भारत को प्रायः “भाषाओं का देश” कहा जाता है। यहाँ भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति की पहचान, संस्कृति, परंपरा और सोच का प्रतिबिंब होती है। भारतीय संविधान ने भाषाई विविधता को स्वीकार करते हुए सभी नागरिकों को अपनी भाषा के संरक्षण और विकास का अधिकार प्रदान किया है।

21वीं सदी का भारत तीव्र आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक संपर्क के युग में प्रवेश कर चुका है। इस परिवर्तनशील परिदृश्य में भाषा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। एक ओर हिंदी और अंग्रेज़ी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संपर्क की भाषा बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाएँ सांस्कृतिक अस्मिता और जनभागीदारी को सुदृढ़ करती हैं।

राष्ट्र निर्माण केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और नागरिक सहभागिता भी शामिल होती है। बहुभाषिकता इन सभी आयामों को जोड़ने का कार्य करती है। इस संदर्भ में 21वीं सदी के भारत में बहुभाषिकता और राष्ट्र निर्माण के संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है।

भारत में बहुभाषिकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत की भाषाई विविधता का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल में संस्कृत, बाद में प्राकृत और अपभ्रंश, तथा मध्यकाल में अवधी, ब्रज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बांग्ला जैसी भाषाओं का विकास हुआ। आधुनिक काल में अंग्रेज़ी के आगमन ने भारतीय भाषाई संरचना को एक नया आयाम दिया।

स्वतंत्रता के बाद भाषा को लेकर कई विवाद उत्पन्न हुए, विशेषतः राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर। अंततः संविधान निर्माताओं ने बहुभाषिकता को स्वीकार करते हुए हिंदी को राजभाषा और अंग्रेज़ी को सहायक भाषा का दर्जा दिया। यह निर्णय भारत की भाषाई सहिष्णुता और लोकतांत्रिक सोच का प्रमाण है।

बहुभाषिकता और भारतीय संविधान

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता देती है। अनुच्छेद 29 और 30 भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी भाषा या समुदाय उपेक्षित न हो।

संविधान की यह व्यवस्था राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विविधता में एकता की भावना को मजबूत करती है और भाषाई संघर्षों को कम करती है।

शिक्षा और बहुभाषिकता NEP 2020 के संदर्भ में

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला होती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने बहुभाषिकता को शिक्षा का एक केंद्रीय तत्व माना है। नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने से बच्चों की समझ, रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है।

बहुभाषिक शिक्षा से न केवल भाषा कौशल विकसित होता है, बल्कि यह छात्रों में सांस्कृतिक संवेदनशीलता और सहिष्णुता भी उत्पन्न करती है। 21वीं सदी में जब बहु-संस्कृति और बहु-भाषा वाले कार्यस्थल सामान्य हो चुके हैं, तब बहुभाषिक शिक्षा विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करती है।

राष्ट्र निर्माण में भाषा की भूमिका

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाषा संवाद, एकता और सहभागिता का माध्यम बनती है। हिंदी देश के विभिन्न भागों के बीच संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है, जबकि अंग्रेज़ी भारत को वैश्विक मंच पर जोड़ती है।

क्षेत्रीय भाषाएँ स्थानीय शासन, प्रशासन और जनसंपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब नागरिक अपनी भाषा में शासन से जुड़ते हैं, तो लोकतंत्र अधिक प्रभावी और सहभागी बनता है। इस प्रकार बहुभाषिकता राष्ट्र निर्माण को जमीनी स्तर पर मजबूत करती है।

तकनीक, मीडिया और बहुभाषिकता

डिजिटल क्रांति ने भाषाई सीमाओं को काफी हद तक कम कर दिया है। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई-गवर्नेंस और मोबाइल एप्स भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। इससे ग्रामीण और दूर-दराज़ क्षेत्रों के लोग भी राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया से जुड़ पा रहे हैं।

डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत स्थानीय भाषाओं में सेवाओं की उपलब्धता ने बहुभाषिकता को नई शक्ति प्रदान की है। यह तकनीकी समावेशन राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

वैश्वीकरण और बहुभाषिक भारत

वैश्वीकरण के युग में अंग्रेज़ी का महत्व बढ़ा है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भारतीय भाषाएँ कमजोर हो रही हैं। वास्तव में, बहुभाषिक भारतीय नागरिक वैश्विक स्तर पर अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनते हैं।

भारतीय प्रवासी समुदाय ने भी भारतीय भाषाओं और संस्कृति को विश्वभर में पहचान दिलाई है। इस प्रकार बहुभाषिकता भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है।

चुनौतियाँ और समस्याएँ

बहुभाषिकता के अनेक लाभों के बावजूद कुछ चुनौतियाँ भी हैं-

- भाषाई असमानता
- रोजगार में भाषा आधारित भेदभाव
- प्रशासनिक जटिलताएँ
- कुछ भाषाओं का हाशिये पर जाना

यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो बहुभाषिकता विभाजन का कारण भी बन सकती है।

समाधान और भविष्य की दिशा

इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है-

- सभी भाषाओं को समान सम्मान
- गुणवत्तापूर्ण अनुवाद व्यवस्था
- शिक्षा और तकनीक में स्थानीय भाषाओं का विस्तार
- भाषाई सहिष्णुता और संवाद की संस्कृति

यदि इन उपायों को अपनाया जाए, तो बहुभाषिकता भारत के राष्ट्र निर्माण को और अधिक सशक्त बना सकती है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 21वीं सदी का भारत बहुभाषिकता के बिना अधूरा है। भाषाई विविधता भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुभाषिकता ने भारतीय

समाज को सहिष्णु, लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया है।

यदि भारत अपनी भाषाओं का संरक्षण करते हुए उन्हें शिक्षा, प्रशासन और तकनीक से जोड़े, तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधिक मजबूत, न्यायपूर्ण और टिकाऊ होगी। वास्तव में, बहुभाषिकता ही 21वीं सदी के भारत की आत्मा है।

संदर्भ

1. भारत सरकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय, 2020।
2. कृष्णमूर्ति, भद्रिराजु। भारत की भाषाएँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003।
3. काचरू, ब्रज बी. “भारत में बहुभाषिकता।” इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, खंड 12, अंक 2, 1986, पृष्ठ 1–15।
4. एनसीईआरटी। भारतीय समाज और संस्कृति। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 2021